



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2012/अग्रहायण 9, 1934

No. 611]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2012/AGRAHAYANA 9, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 857(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1994 के नियम 40 के उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(6) (i) उप-नियम(1) या उप-नियम (2) के अधीन किया गया या किया जाना समझा गया निलंबन आदेश, इस प्रयोजन के लिए गठित पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश पर, निलंबन के आदेश की तारीख से नब्बे दिन के अवसान के पूर्व, निलंबन आदेश को उपांतरित करने या प्रतिसंहत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकित किया जाएगा और वह या तो निलंबन को बढ़ाने या प्रतिसंहत करने का आदेश पारित करेगा।

(ii) दूसरा या पश्चात्पूर्ती पुनर्विलोकन निलंबन की विस्तारित अवधि, जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

(iii) पुनर्विलोकन समिति ऐसे आफिसरों से मिलकर बनेगी और ऐसी रीति में गठित की जाएगी, जैसा

समय-समय पर महानिदेशक द्वारा अभिकथित किया जाए।

[फा. सं. I/45011/18/2011-जे.ए.जी./आईटीबीपीएफ]

हरीश चंद्र, उप-सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक सा.का.नि. 480(अ), तारीख 30 मई, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 681(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1995, सा.का.नि. सं. 206(अ), तारीख 13 मई, 1996 और सा.का.नि. सं. 731(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2012

**G.S.R.857(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force Rules, 1994 for sub-rule (6) in rule 40, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(1)

- (6) (i) The order of suspension made or deemed to have been made under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the date of order of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension.
- (ii) The second or subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension which shall not exceed one hundred and eighty days at a time.

- (iii) The review committee shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director General."

[F. No. I-45011/18/2011-JAG/ITBPF]  
HARISH CHANDER, Dy. Secy.

**Foot Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 480(E), dated the 30th May, 1994 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 681(E), dated the 11th October, 1995, G.S.R. 206(E), dated the 13th May, 1996 and G.S.R. 731(E), dated the 5th November, 2004.

Comdt (IT) Cew